(नियम 15)

जज अदालत उपजिलाधिकारी मुकाम राजाखेड़ा

दीपचन्द बनाम विजेन्द्र

किस्म मुकदमा प्रा०पत्र अन्तर्गत धारा 151 CPC नं. 03/2018 सन्

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
10/6/2019	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उप०, प्रार्थना पत्र के निर्णय हेतु पत्रावली का अवलोकन किया गया। तथ्य इस प्रकार से है यह प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में प्रार्थी द्वारा दिनांक 15/01/14 को अन्तर्गत धारा 151 CPC इन तथ्यों के साथ पेश किया है कि मु० नं० 56/11 दीपचन्द बनाम विजेन्द्र दिनांक 06/06/2013 के को डिक्री किया गया है। इस प्रकरण में पक्षकारान के मध्य राजीखुशी स्वेच्छा से समझौता हो गया था। इस सम्बन्ध में एक राजीनामा दिनांक 8/4/2013 को न्यायालय में पेश किया गया था उक्त राजीनामा से उभयपक्षकार estopped है मुताबिक राजीनामा प्रार्थी को उसके नाम दर्ज रकबा अर्थात 3 बीघा 10 बिस्वा रकबा का प्रार्थी को खातेदार होना उभय पक्षों ने स्वीकार किया था। जिसके अनुसार वादी का हि० 1/1 होना चाहिये था। त्रुटिवश भूलवश से न्यायालय ने प्रार्थी के हि० 1/1 के बजाय प्रार्थी का हिस्सा निर्णय में 1/2 दर्ज कर दिया है, जो काबिल दुरुस्ती है, जिसके लिए वादीगण सहमत है एवं राजीनामा दिनांक 8/4/13 के पाबन्द है। निर्णय में कई जगह काट छांट हो रही है जिससे गलती होने की पूर्ण सम्भावना रही है प्रार्थी मुताबिक राजीनामा 1/1 हिस्सा का काबिज काश्त है अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय दिनांक 6-6-2013 में हुई लेखनीय भूल को दुरुस्त कर प्रार्थी का हिस्सा 1/1 किये जाने की अनुमति दिये जाने हेतु निवेदन किया है। अप्रार्थीगण (वादीगणान) की ओर से प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र दिनांक 22/4/2019	

उपखण्ड अधिकारी

प्रार्थना पत्र के कथनों को भी दोहराया किया है तथा कथन किया है कि उपरोक्त अपानी प्रकरण मे न्यायालय श्रीमान मे पूर्ण रूप से तथ्यों पर व कानूनी आधार पर निर्णय किया है तथा विधिवत दस्तावेजी साक्ष्य के आतिरिक्त मौखिक साक्ष्य भी अभिलेख पर है। प्रार्थी की ओर से किसी भी प्रकार की कब्जे व राजीनामा पर मौखिक साक्ष्य नहीं दी है राजीनामा पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं है। निर्णय दिनांक 6/6/13 को पूर्ण रूप से स्वीकारोक्ति के साथ दिया है, कब्जे की स्थिति एवं राजीनामा पर गौर करने के उपरान्त ही निर्णय पारित किया गया है। निर्णय के पृष्ठ संख्या की 13 वी पंक्ति पर स्पष्ट 1/2 भाग अंकित है। इसी प्रकार पृष्ठ सं. 9 की पहली पंक्ति पर 1/2 भाग अंकित है। जो लिपिकीय भूल नहीं कही जा सकती है। प्रार्थी ने अपना हिस्सा 1/12 के स्थान पर 1/11 करने हेतु शुद्धि चाही है लेकिन यह नहीं बताया कि हिस्सा 1/12 के स्थान पर ~~[illegible]~~ हि. 1/11 करने पर किसका हिस्सा कम किया जावेगा 1/11 हिस्सा करने पर पूरे रकबे का विभाजन नहीं होता है। प्रार्थी की मनमर्जी से निर्णय मे संशोधन नहीं किया जा सकता है। दिनांक 8/5/13 का जो राजीनामा पेश किया है वह अस्पष्ट है। जैसे न्यायालय ने अपने मे अवलोकन भी किया है तथा पक्षकारों को सद्भावी क्रेता माना है तथा मौखिक साक्ष्य पर भी गौर किया है तदुपरान्त वैधानिक स्थिति का पूर्ण इन्द्राज है। परिवादी व पारस्परिक निर्णय है। न्यायालय किसी भी राजीनामा से पाबन्द नहीं है। निर्णय मे कहीं भी लिपिकीय भूल नहीं है। सभी हिस्सेदार एक बाद के पक्षकार निर्णय से सहमत है। प्रार्थी जबरन अपने हिस्से को बढ़ाना चाहता है। जो विधिक नहीं है। निर्णय से असन्तुष्ट होने पर अपील का प्रावधान है। प्रार्थी जो संशोधन चाहता है वह हो नहीं सकता है। ~~अ~~ प्रार्थी इस निर्णय से बाध्य है

प्रार्थना पत्र पर बहस उभयपक्ष अधिभाषकगण सुनी गयी। वकील प्रार्थी द्वारा अपनी बहस मे अपने प्रार्थना पत्र के समस्त कथनों को दोहराया तथा कथन किया कि सब राजीनामा के आधार पर डिक्री किया गया है। त्रुटि से प्रार्थी का हिस्सा 1/11 के स्थान पर 1/12 अंकित हो गया है जो कि लिपिकीय त्रुटि कारित हुई है उसे शुद्ध किया जावे। न्यायालय ने राजीनामा

के अनुसार ही दावा डिक्री करना है। अपने कथन के समर्थन में उनके O 23 R-3 CPC के case Law- AIR-2011 का उल्लेख किया जिसके अनुसार न्यायालय को सही न्याय की अवधारणा को अपनाना चाहिये। इसलिये निर्णय दिनांक 6/6/13 में प्रार्थी के हिस्से 1/12 को शुद्ध करके 1/11 करने के आदेश देने चाहिये।

वहस वकील अप्रार्थीगण में अभिभाषक द्वारा अपने जवाब प्रा० पत्र के समरूप कथनों को दोहराया तथा कथन किया है कि निर्णय दिनांक 6/6/13 में कोई विपरीत कोई नहीं है। दावा मुताबिक राजीनामा डिक्री नहीं किया है बल्कि राजीनामा पर गौर किया है। मौखिक साक्ष्य के आधार पर न्यायालय द्वारा प्रार्थी का हि० 1/12 ही निर्धारित किया है। प्रार्थी प्रार्थना पत्र के माध्यम से पुनः सुनवाई का प्रयास कर रहा है तथा निर्णय को शुद्धि के बहाने बदलना चाहता है जो गलत है। गलत निर्णय को शुद्ध करना धारा 152 के तहत नहीं होता है। प्रार्थना पत्र बिखण्ड नहीं है इसलिये खारिज किया जावे। अपने कथन के समर्थन में उनके द्वारा RRD 2012 पृष्ठ (2012) 424, RRT 2015 (1) पृष्ठ 319, RRT-2014 (1) पृष्ठ 17, 18, RRT-2014 (1) पृष्ठ 32, 33, RRT 2014 (1) पृष्ठ 31, RRT-2013 (2) पृष्ठ 1 की कानूनी नजीरें प्रस्तुत की।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। मूल पत्रावली प्र० स० 56/11 दीपचन्द वs विरेन्द्र व निर्णय दिनांक 6/6/13 का भी अवलोकन इस पत्रावली तक कर लिया गया। निर्णय दिनांक 6/6/13 में यह नहीं अंकित नहीं है कि दावा मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जा रहा है। राजीनामा का अवलोकन करने पर भी यह पाया गया कि राजीनामा भी स्पष्ट नहीं है। निर्णय के पृष्ठ संख्या 7 की 13वी पंक्ति पर प्रार्थी मोहर सिंह एकनिष्ठ पुत्र चन्दगी सं० 14 का हिस्सा 1/12 स्पष्ट अंकित है उसमें कोई काट छांट नहीं है इसी प्रकार निर्णय के पृष्ठ संख्या 9 की पहली पंक्ति पर भी प्रार्थी मोहर सिंह का हिस्सा 1/12 अंकित है जो स्पष्ट है। निर्णय पृष्ठ संख्या

प्रार्थी ... अधिकारी

6 के अन्तिम पैरा में यह अंकित है कि इन्द्राजात का
गलती से अमल किया तथा विवादित आराजीयात
कब्जे की स्थिति तथा खातेदार पर गौर करने के
पश्चात आया कि वादीगण एक सहभागी खातेदार है।
इससे यह भी जाहिर हो जाता है कि
दावा मुताबिक खातेदार डिक्री नहीं किया गया
बल्कि विवाद करके समस्त खातेदार पर
गौर किया है। निर्णय करते समय प्रार्थी
मोहनसिंह एवं नवलकिशोर का हिस्सा 1/12 निर्धारित
किया है जो ठीक से नहीं हुआ है। इसलिए प्रा.पत्र
के जरिए तथ्य जाहिर नहीं होता है कि यह
एक लिपिकीय त्रुटि है। यदि प्रार्थी निर्णय के
द्वारा तय किये गये निर्धारित हिस्सा 1/12 से
सन्तुष्ट नहीं है तो उसे अपीलीय न्यायालय में
अपील करनी चाहिये थी। प्रा.पत्र 151, 152 CPC
के तहत केवल लिपिकीय त्रुटि एवं अनजाने
गलतियों को शुद्ध किया जा सकता है। निर्णय
में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। वकील
अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत कानूनी नजीर RRT-
2015(1) पृष्ठ 72 एवं 73 से हम सहमत है
कि "power u/sec 152 & 153 can be invoked
for limited purpose to rectify the
unintentional mistake" यह कानूनी नजीर
इस प्रकरण पर चस्पा होती है। इसलिए प्रार्थना
पत्र विधिक नहीं है इसलिए स्वीकार योग्य
नहीं है।

अतः आदेश है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी
u/sec 151 CPC विधिक नहीं होने के कारण
खारिज किया जाता है तथा निर्देशित किया
जाता है कि प्रार्थी यदि निर्णय से असन्तुष्ट है
एवं किसी भी प्रकार का निर्णय में कोई
परिवर्तन चाहता है तो सक्षम न्यायालय में
अपील प्रस्तुत कर अनुतोष प्राप्त करे।
पत्रावली कोमल कुमार ओझा वाद तकमील
दाखिल दफ्तर हो। हुक्म सुनाया गया।

(हस्ताक्षर)

उपखण्ड अधिकारी
राजाखेड़ा (धौलपुर)